बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21.09.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे की कार्यवाही एवं सदस्यों की ऑन लाइन/ऑफ लाइन उपस्थिति–

		हस्ताक्षर
1. प्रो0 मुकेश पाण्डेय	कुलपति/अध्यक्ष	
2. प्रोफेसर प्रेम प्रकाश सोलंकी	कुलाधिपति नामित सदस्य	
3. सुश्री सुमन सिंह	कुलाधिपति नामित सदस्य	
4. श्री समीर बेन्द्रे	कुलाधिपति नामित सदस्य	
5. प्रो0 आर0के0सैनी	संकायाध्यक्ष–विज्ञान	
6. प्रो0 एन0एस0सेंगर	सकायाध्यक्ष–चिकित्सा संकाय/सदस्य	
7. प्रो0 अवनीश कुमार	आचार्य/सदस्य	
8. प्रो0 आलोक वर्मा	आचार्य/सदस्य	
9. डा0 रितु सिंह,	सहआचार्य/सदस्य	
10. डा0 शम्भू नाथ सिंह	सहआचार्य/सदस्य	
11. डा0 अतुल गोयल	सहायक आचार्य/सदस्य	
12. प्रो0 अलका नायक	प्राचार्य/सदस्य	
13. प्रो0 सूर्य नारायण	प्राचार्य/सदस्य	
14. डा0 पूरन प्रकाश पुरवार	प्राध्यापक/सदस्य	
15. डा0 आर0के0गुप्ता	प्राध्यापक/सदस्य	
16. श्री प्रमोद कुमार सिंह	वित्त अधिकारी	
17. श्री विनय कुमार सिंह	कुलसचिव/सचिव.	
18 प्रो० एम० एम० सिंह	[illegible]	
19 श्री राजबहादुर	" " "	

117

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 21.09.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे की कार्यवाही एवं सदस्यों की ऑन लाइन/ऑफ लाइन उपस्थिति–

उपस्थिति–

1.	प्रो0 मुकेश पाण्डेय	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर प्रेम प्रकाश सोलंकी	कुलाधिपति नामित सदस्य
3.	सुश्री सुमन सिंह	कुलाधिपति नामित सदस्य/**ऑनलाइन**
4.	श्री समीर बेन्द्रे	कुलाधिपति नामित सदस्य/ **ऑनलाइन**
5.	प्रो. आर. के. सैनी	संकायाध्यक्ष–विज्ञान/सदस्य
6.	प्रो. एन. एस. सेंगर	संकायाध्यक्ष–चिकित्सा संकाय/सदस्य
7.	प्रो. अवनीश कुमार	आचार्य/सदस्य
8.	प्रो. आलोक वर्मा	आचार्य/सदस्य
9.	डा. रितु सिंह,	सहआचार्य/सदस्य
10.	डा. शम्भू नाथ सिंह	सहआचार्य/सदस्य
11.	डा. अतुल गोयल	सहायक आचार्य/सदस्य/**ऑनलाइन**
12.	प्रो. अलका नायक	प्राचार्य/सदस्य
13.	प्रो. सूर्य नारायण	प्राचार्य/सदस्य **/ऑनलाइन**
14.	डा. पूरन प्रकाश पुरवार	प्राध्यापक/सदस्य **/ऑनलाइन**
15.	डा. आर. के. गुप्ता	प्राध्यापक/सदस्य **/ऑनलाइन**
16.	प्रो. एम. एम. सिंह	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	श्री राजबहादुर	परीक्षा नियंत्रक/ विशेष आमंत्रित
18.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	वित्त अधिकारी
19.	श्री विनय कुमार सिंह	कुलसचिव/सचिव

कार्यवाही –

1. कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 11.03.2024 एवं आकस्मिक बैठकें दिनांक 16.08.2024 एवं 06.09.2024 की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि पर विचार।

- परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से अपनी पूर्व बैठक दिनांक 11.03.2024 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।
- परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से आकस्मिक बैठक दिनांक 16.08.2024 के कार्यवृत्त/कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।

शिक्षा संस्थान के 01 पद (प्रोफेसर) का लिफाफा आकस्मिक बैठक दिनांक 16.08.2024 में न खोले जाने से व्यथित एक अभ्यर्थी एवं अन्य के द्वारा परिणाम घोषित करने/ लिफाफे खोले जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योचित की। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट संख्या 13099/2024 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2024 का कियात्मक अंश निम्नवत है –

"In view of the said fact as no useful purpose would be served in keeping the matter pending or calling for counter affidavit, with the consent of counsel for the

21/9/24.

21/9/24

parties, the writ petition is disposed of requiring the Vice Chancellor, Bundelkhand University, Jhansi to immediately take necessary action for declaring result for the post of Professor for which interview has already been held pursuant to the advertisement No. 12/2023-24, preferably within a period of fifeen days from the date of production of the certified copy of this order.

Counsel appearing for the university shall also intimate about this order to the University authorities within twenty-four hours.

माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज के उपर्युक्त आदेश के क्रम में परिषद् के समक्ष **शिक्षा संस्थान + आई.टी.ई.पी.** में आचार्य के पद हेतु दिनांक 01.03.2024 को हुई चयन समिति की बैठक की संस्तुतियों का बन्द लिफाफा प्रस्तुत किया गया। जिसे परिषद् की सर्व सहमति से परिषद् के समक्ष खोला गया। चयन समिति द्वारा निम्नवत संस्तुतियां की गई –

क्रम	पद	समिति द्वारा की गई संस्तुति
1.	आचार्य UR – 01	चयनित – 1- Kavya Dube प्रतीक्षा सूची में – 1- Shyam Sunder Kushwaha 2- Sunil Kumar Trivedi

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से चयन समिति की संस्तुतियों का निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदन किया गया।

परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 16.08.2024 के में लिये गये निर्णयानुसार अभ्यर्थी को रू. 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का फोटोयुक्त नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी भी प्रकार की सर्तकता जॉच, विभागीय जॉच, अथवा अन्य जॉच में दोषी नहीं पाये गये और न ही किसी भी प्रकार की आपराधिक जॉच उनके विरूद्ध प्रचलित है। यदि भविष्य में किसी जॉच में वह दोषी पाये जाते हैं तो नियुक्ति पर स्थापित नियमों के अंतगत कार्यवाही की जायेगी और वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त उक्त शपथ पत्र में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवेदन/ चयन प्रकिया के समय प्रस्तुत किये गये अर्हता/ अनुभव सम्बन्धी अभिलेख/ प्रपत्र सत्य एवं वास्तविक हैं, असत्य/ अवास्तविक पाये जाने पर चयन स्वतः निरस्त समझा जाये।

चयन प्रकिया के दौरान यदि अभ्यर्थी से सम्बन्धित कोई तथ्यगोपन प्रकाश में आते हैं तो तदनुसार परीक्षाणोपरान्त विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से आकस्मिक बैठक **06.09.2024** की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।

2. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 24.04.2024, 10.07.2024 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 24.04.2024, 10.07.2024 की कार्यवाहियों का अनुमोदन किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

3. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.06.2024, 22.07.2024 एवं 12.09.2024 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से परीक्षा समिति की बैठकों दिनांक 27.06.2024, 22.07.2024 एवं 12.09.2024 की कार्यवाहियों का अनुमोदन किया गया।

4. विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24.07.2024 एवं 18.09.2024 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24.07.2024 एवं 18.09.2024 की कार्यवाहियों का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

5. वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.09.2024 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.09.2024 की कार्यवाही का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

परिषद् द्वारा वित्त समिति में प्रस्तुत भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 12.09.2024 की कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद, ग्राम कोछाभांवर, जिला झॉसी की श्री रामप्रसाद, कारपेन्टर (एस.एफ.एस.) की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक आश्रित के रूप में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6437 दिनांक 21.06.2024 द्वारा नियुक्ति की गई। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद, ग्राम कोछाभांवर, जिला झॉसी की श्री रामप्रसाद, कारपेन्टर (एस.एफ.एस.) की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक आश्रित के रूप में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6437 दिनांक 21.06.2024 द्वारा की गई नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

7. डा. उमेश कुमार, सहायक आचार्य, (एस.एफ.एस.) मास कम्युनिकेशन विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6963–67 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में 06 माह के अवैतनिक अवकाश स्वीकृति किया गया। उपर्युक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से डा. उमेश कुमार, सहायक आचार्य, (एस.एफ.एस.) मास कम्युनिकेशन विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6963–67 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में 06 माह के अवैतनिक अवकाश स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

8. श्री सुनील कुमार सेन – उप कुलसचिव, के पूर्व की सेवा केन्द्र सरकार की होने के दृष्टिगत परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में श्री सेन का विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6122–27 दिनांक 30.05.2024 द्वारा वेतन संरक्षण किया गया। उक्त पत्र परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

21/9/24

21/9/24

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से श्री सुनील कुमार सेन – उप कुलसचिव, के पूर्व की सेवा केन्द्र सरकार की होने के दृष्टिगत परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में श्री सेन का विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6122–27 दिनांक 30.05.2024 द्वारा वेतन संरक्षण हेतु निर्गत पत्र का अनुमोदन किया गया।

9. श्री प्रिंस यादव पुत्र स्व. श्री बच्चू सिंह यादव की चतुर्थ श्रेणी (समकक्ष) अनुचर पद पर मृतक आश्रित के रूप में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6342–48 दिनांक 13.06.2024 के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में नियुक्ति की गई। उक्त पत्र परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

श्री प्रिंस यादव पुत्र स्व. श्री बच्चू सिंह यादव की चतुर्थ श्रेणी (समकक्ष) अनुचर पद पर मृतक आश्रित के रूप में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6342–48 दिनांक 13.06.2024 के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

10. डा. यशोधरा शर्मा, सेवा निवृत्त सह आचार्य (एस.एफ.एस.) बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग को शासनादेश संख्या 1/2018/09/सत्तर–1–2018–16(58)/201 दिनांक 18.01.2018 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6612 दिनांक 01.07.2024 के द्वारा परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में रू. 600/– प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम मानदेय रू. 30000/– पर नियुक्ति की गई। उक्त पत्र परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से डा. यशोधरा शर्मा, सेवा निवृत्त सह आचार्य (एस.एफ.एस.) बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग को शासनादेश संख्या 1/ 2018/ 09/ सत्तर –1 –2018–16(58)/201 दिनांक 18.01.2018 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत पत्र संख्या बु.वि. /प्रशा./2024/6612 दिनांक 01.07.2024 के द्वारा परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में रू. 600/– प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम मानदेय रू. 30000/– पर की गई नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

11. समूह 'ग' के पदों के ई–अधियाचन (सी.एम. पोर्टल) हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर पदों से सम्बन्धित अनुपलब्ध नियमों/सेवा शर्तें के कारण राज्य सरकार की सेवा नियमावलियों एवं अन्य प्रशासकीय नियमावली/नियमों/शासनादेशों को अंगीकृत करने की सूचना परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

परिषद् समूह 'ग' के पदों के ई–अधियाचन (सी.एम. पोर्टल) हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर पदों से सम्बन्धित अनुपलब्ध नियमों/सेवा शर्तें के कारण राज्य सरकार की सेवा नियमावलियों एवं अन्य प्रशासकीय नियमावली/नियमों/शासनादेशों को अंगीकृत करने की सूचना से अवगत हुई।

12. संघटक महाविद्यालयों हेतु गठित शाषी परिषद् की कार्यवाही दिनांक 15.07.2024 के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से संघटक महाविद्यालयों हेतु गठित शाषी परिषद् की कार्यवाही दिनांक 15.07.2024 का अनुमोदन किया गया।

13.कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.10.2021 के अनुपूरक मद संख्या 02(3) में लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन पर विचार।

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.10.2021 के अनुपूरक मद संख्या 02(3) में लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन का विचारोपरान्त परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

14.राजभवन के निर्देशानुसार सितम्बर 2024 के अंतिम सप्ताह में होने वाले बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में मानद् उपाधि दिये जाने पर विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि अभी राजभवन द्वारा 29वें दीक्षांत समारोह की तिथि निर्धारित नहीं हुई है अतः उपर्युक्त बिन्दु परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

15.राजभवंन के निर्देशानुसार सितम्बर 2024 के अंतिम सप्ताह में होने वाले बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में दीक्षांत अभिभाषक (Keynote Spearker) के सम्बन्ध में विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि अभी राजभवन द्वारा 29वें दीक्षांत समारोह की तिथि निर्धारित नहीं हुई है अतः उपर्युक्त बिन्दु परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

16.डा. अभिमन्यु सिंह, सेवा निवृत्त सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) पर्यावरण विज्ञान विभाग को शासनादेश संख्या 1/2018/09/सत्तर–1–2018–16(58)/201 दिनांक 18.01.2018 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6933 दिनांक 12.08.2024 के द्वारा परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रति व्याख्यान की रू. 500/– दर से अधिकतम मानदेय रू. 25000/– पर नियुक्ति की गई। उक्त पत्र परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

डा. अभिमन्यु सिंह, सेवा निवृत्त सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.) पर्यावरण विज्ञान विभाग को शासनादेश संख्या 1/2018/09/सत्तर–1–2018–16(58)/201 दिनांक 18.01.2018 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/6933 दिनांक 12.08.2024 के द्वारा परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रति व्याख्यान की रू. 500/– दर से अधिकतम मानदेय रू. 25000/– पर नियुक्ति की गई नियुक्ति का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

17.डा. महेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग को जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, साम्बा, जम्मू में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 23.07.2023 से 22.07.2024 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था। डा. सिंह द्वारा उक्त अवकाश को दिनांक 23.07.2024 से 22.07.2026 के विस्तारण की मांग की गई जिसे परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/7133–38 दिनांक 02.09.2024 द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त पत्र परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

डा. महेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग को जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, साम्बा, जम्मू में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 23.07.2023 से 22.07.

21/9/24

2024 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था। डा. सिंह द्वारा उक्त अवकाश को दिनांक 23.07.2024 से 22.07.2026 के विस्तारण की मांग की गई जिसे परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2024/7133–38 दिनांक 02.09.2024 द्वारा स्वीकृत किया गया। परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

18. विश्वविद्यालय में स्थापित संस्कृत शोध पीठ के सफल संचालन हेतु परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./ प्रशा./2023/1507–14 दिनांक 13.07.2023 द्वारा प्रो. बी. बी. त्रिपाठी सेवा निवृत्त आचार्य को मानद निदेशक के रूप में अग्रिम आदेशों तक नियुक्त किया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय में स्थापित संस्कृत शोध पीठ के सफल संचालन हेतु परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./ प्रशा./2023/1507–14 दिनांक 13.07.2023 द्वारा प्रो. बी. बी. त्रिपाठी सेवा निवृत्त आचार्य को मानद निदेशक के रूप में अग्रिम आदेशों तक नियुक्त किया गया। परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

19. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।

(1) डा. शिप्रा सक्सेना – सहायक आचार्य, व्यापार प्रशासन विभाग की प्रोन्नति तिथि में परिवर्तन किये जाने हेतु निर्गत पत्र परिषद् के अवलोकन हेतु प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से डा. शिप्रा सक्सेना द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 11.05.2024 के परिप्रेक्ष्य में आई.क्यू.ए.सी. समिति की बैठक दिनांक 27.05.2024 की संस्तुतियों के आधार पर कुलपति जी के आदेशानुसार डा. शिप्रा सक्सेना की प्रोन्नति की तिथि स्टेज–2 से स्टेज–3 हेतु दिनांक 23.11.2019 एवं स्टेज–3 से स्टेज –4 हेतु दिनांक 23.11.2022 परिवर्तित कर संशोधित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(2) सम्बद्धता समिति की कार्यवाहियां दिनांक 10.05.2024, 08.07.2024, 25.07.2024 , 30.07.2024 एवं 04.09.2024 परिषद् के समक्ष संसूचित हेतु प्रस्तुत।

परिषद् दिनांक 10.05.2024, 08.07.2024, 25.07.2024 , 30.07.2024 एवं 04.09.2024 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठकों की कार्यवाहियों से संसूचित हुई।

(3) परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत M.Sc.(Ag.) Agricultural Extention III Semester 2023-24 में हुआ संशोधन परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा नियंत्रक द्वारा परिषद् के संज्ञान में लाया गया कि **M.Sc.(Ag.) Agricultural Extention III Semester 2023-24** के एक छात्र द्वारा प्रश्न पत्र कोड संख्या 70402 के मूल्यांकन के उपरान्त परिणाम घोषित होने के पश्चात नियमानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका अवलोकित की गई जिसमें उसे अन्य छात्र की उत्तर पुस्तिका प्राप्त हुई। उक्त का संज्ञान लेते हुये प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा डाटा डिकोडिंग के दौरान बार कोड में विसंगति की गई है। उक्त प्रकरण से कुल 24 छात्र – छात्रायें प्रभावित थे, जिनको अध्यादेश में वर्णित निम्नांकित प्राविधानुसार वास्तवित अंक प्रदान कर दिये गये हैं –

"The Registrar, after obtaining the Vice Chancellor's permission, shall have the power to rectity any clerical error or omission disvocered after declaration of University Result but

123

before award of the degree, and the mistakes so rectified shall be reported to the Executive Committee at its nest meeing for approval"

उक्त से अवगत होते हुये परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से की गई उपर्युक्त कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा नामित कार्य परिषद् के सदस्य प्रो. प्रेम प्रकाश सोलंकी ने परिषद् के समक्ष यह सुझाव प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों में आने वाले महानुभावों/शिक्षाविदों को दिये जाने वाले मानदेय/ पारिश्रमिक पर पुनर्विचार किया जाये। जिस पर अध्यक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अंत में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो. मुकेश पाण्डेय)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner